जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 36 संख्याः 158 प्रभात अजमेर, मंगलवार 13 जनवरी, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं, ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी व प.बंगाल की पुलिस के खिलाफ अन्ततोगत्वा मुकदमा दर्ज किया

- अगर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शिकायत को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया तो ममता बनर्जी को सीधे जेल जाना पड़ेगा।
- ईडी ने सीबीआई से पूरे प्रकरण की जाँच कराने की भी मांग की है।
- दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ''केविएट'' फाइल की, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार का पक्ष भी सुने।
- जैसा कि विदित ही है, कंसलटैंसी कंपनी आई-पैक, जिसके ऑफिस पर ईडी ने रेड की, ने 2021 के प.बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद भी तृणमूल कांग्रेस की चुनाव की रणनीति फाइनल करने में अहम् भूमिका निभाई थी। प.बंगाल की मु.मंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से, आई-पैक के दफ्तर पर रेड के दौरान वहाँ पहुँचने और फाइलें ले जाने को सही बताते हुए कहा कि ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। एन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट (ईडी) ने अन्ततोगत्वा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए हैं, जो कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास और आई-पैक के कार्यालयों पर हुई ईडी की छापेमारी के दौरान वहां पहुंचे थे।

ईडी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यदि ये मामले अदालत में कायम रहते हैं, तो इससे उनकी तत्काल गिरफ्तारी संभव हो सकती है। पूरे देश में यह एक अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है कि किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री ने छापेमारी और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया हो।

ईडी ने राज्य की मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सबूतों को नुकसान पहुंचाने और जांच में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं।

गत सप्ताह ईडी ने आई-पैक के कार्यालयों और उसके स्थानीय प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर रेड की थी। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और कथित तौर पर वहां से महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं।

ईडी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लीज क्षेत्र से कोयले की चोरी और उसे चुनिंदा खरीदारों को बेचने से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है। इस अवैध आय को हवाला चैनलों के जरिए बाहर भेजा गया और बाद में वापस लाया गया। ईडी पहले ही हवाला लेनदेन को लेकर गंभीर आरोप लगा चुकी है और उसके पास इससे जुड़े अहम सबूत और जानकारी मौजूद हैं।

कानून के तहत किसी जांच एजेंसी की रेड में हस्तक्षेप करना एक संज्ञेय अपराध है। किसी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसमें हस्तक्षेप करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप बने वेनेज़ुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर, जो एडिट किए गए विकिपीडिया पेज जैसी दिखती है, में ट्रंप की आधिकारिक फोटो लगाकर उन्हें ''वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति'' बताया गया है।

असल विकिपीडिया पेज पर ट्रंप को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बताया गया है और न ही किसी

- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक फोटो में खुद को वेनेज़ुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है।

अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इस दावे को मान्यता दी है।

यह पोस्ट अमेरिका द्वारा मौजूदा वेनेज़ुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर हटाने के बाद सामने आई। मादुरो को उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें संघीय ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना करना होगा। यह कार्रवाई कई महीनों से चल रहे अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और तेल-समृद्ध देश के खिलाफ सैन्य गतिविधियों के बाद की गई।

मादुरो ने कहा है कि उनका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्र.मंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती ''सच्ची'' है'

अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि सच्चे दोस्त आपस में बैठकर मतभेद सुलझा लेते हैं

- गोर ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन व नई दिल्ली मंगलवार से ''ट्रेड डील'' पर वार्ता का अगला ''राउण्ड'' शुरु करेंगे।
- गोर ने पत्रकारों को यह भी बताया कि उनका राजदूत के रूप में नियुक्ति का मकसद दोनों देशों की ''पार्टनरशिप'' को और अगले स्तर पर ले जाना है तथा भारत-अमेरिका ''ट्रेड डील'' एक चुनौतीपूर्ण काम है, पर, वे कटिबद्ध हैं कि इस ''ट्रेड डील'' को पूरा करवाएंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अगले साल तक भारत का दौरा कर सकते हैं। यह बात अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने कही। उन्होंने यह भी बताया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली मंगलवार से व्यापार समझौते के अगले दौर की बातचीत फिर से शुरू करने जा रहे हैं।

गोर, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत भी हैं, यहां अमेरिकी दूतावास में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती सच्ची है और सच्चे दोस्त अपने मतभेद सुलझा सकते हैं।

अपने आगमन भाषण में उन्होंने कहा, ''अमेरिका और भारत केवल साझा हितों से ही नहीं, बल्कि सबसे ऊंचे स्तर पर मजबूत रिश्तों से जुड़े हैं। सच्चे दोस्त असहमति रख सकते हैं, लेकिन आखिर में अपने मतभेद सुलझा हा लेते हैं।''

गोर ने आगे कहा, ''भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।''

उन्होंने कहा कि हालांकि, व्यापार नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों के लिए बहुत अहम है, लेकिन इसके अलावा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

गोर ने जोर देते हुए कहा, ''मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया भर में घूम चुका हूं और मैं यह कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती ''सच्ची'' है।''

नामित अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उनकी नियुक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना है।

उन्होंने आगे कहा, यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अस्पताल में भर्ती

धनखड़ शनिवार 10 जनवरी को बाथरूम में लगातार दो बार बेहोश हो गए

- सोमवार सुबह उन्हें जाँच के लिए एम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर लिया। यहाँ एमआरआई सहित उनकी सभी जाँचें की जाएंगी।
- धनखड़ पिछले दिनों कई बार बेहोश हो चुके हैं। कच्छ के उत्तराखंड, केरल और नई दिल्ली में हुए कार्यक्रमों में भी उन्हें बेहोशी का दौरा पड़ा था।
- धनखड़ ने गत वर्ष खराब स्वास्थ्य के कारण अचानक उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया था, उसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई गईं और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी कम हो गई थी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज-एम्स) में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, वे सप्ताहांत में दो बार बेहोश हो गए थे।

74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हुई थीं, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया।

धनखड़ ने पिछले वर्ष 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा अचानक आया था और इसके बाद कई अटकलें लगाई गईं। इस्तीफे के बाद, वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत ही कम दिखाई दिये।

स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जब वे वॉशरूम गए थे, तब उन्हें ''दो बार बेहोशी'' के दौरे पड़े। इसके बाद उन्हें चिकित्सकीय जांच की सलाह दी गई।

एक अधिकारी ने कहा, ''आज वे जांच के लिए एम्स गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने जाँचों के लिए उन्हें भर्ती करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल टैस्टों के तहत, डॉक्टरों द्वारा एमआरआई किए जाने की संभावना है।

एक अधिकारी के अनुसार, हाल के दिनों में विभिन्न सार्वजनिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 12 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि बंसत ऋतु के आगमन और नई फसल के उल्लास में मनाया जाने वाला पर्व लोहड़ी प्रकृति

- उन्होंने प्रदेशवासियों को जरुरतमंदों की मदद का संकल्प लेने के लिए कहा।

के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि लोहड़ी की पावन अग्नि प्रदेशवासियों के जीवन से नकारात्मकता को दूर कर स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्य देव के उत्तरायण होने के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व मकर संक्रांति हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह पर्व हमारे देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोर पकड़ने लगा है मनरेगा समर्थक आंदोलन

देश के विभिन्न भागों में विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरु किए गए हैं

- रविवार को वाराणसी में मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठी चार्ज की सभी तरफ से कड़ी निंदा की गई।
- मनरेगा योजना के सृजनकर्ता जीन ड्रेज़ ने कहा कि नई वीबी जी राम जी योजना केन्द्रीकृत है, इसमें सारी जिम्मेदारी राज्यों की है, यही नहीं, इसे जब चाहे बंद किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाम चीन अर्थशास्त्री जैसे थॉमस पिकेटी, नोबल सम्मान विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ आदि ने भी मनरेगा को खत्म किए जाने पर विरोध जताया है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को ''मनरेगा बचाओ संग्राम'' रैली पर हुए लाठीचार्ज के बाद, वीबी-जी-राम-जी कानून को पूरी तरह वापस लेने और मनरेगा की बहाली की मांग को लेकर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं।

मोदी सरकार द्वारा मनरेगा, जो अधिकार-आधारित व्यवस्था है, को समाप्त कर उसकी जगह केन्द्र द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना लाने के फैसले का नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ और असमानता पर काम करने वाले अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी सहित, कई अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने विरोध किया है। मनरेगा की बहाली की मांग को लेकर जमीनी स्तर पर विभिन्न स्थानों पर आंदोलन शुरू हो चुके हैं। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने यूपीए कालीन इस ग्रामीण रोजगार कानून को निरस्त किए जाने के खिलाफ 45 दिनों का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

शनिवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं, इसके बाद जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। 12 से 29 जनवरी के बीच सभी ग्राम पंचायतों में चौपालों और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर सभाएं होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 7 से 15 फरवरी के बीच विधानसभाओं का राज्य स्तरीय ''घेराव'' किया जाएगा और 16 से 25 फरवरी के बीच चार बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी डबल इंजन सरकार ने वाराणसी में शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, ''मनरेगा को खत्म किए जाने और लाखों लोगों को रोजगार के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर ताकत का बर्बर इस्तेमाल और गिरफ्तारियां बेहद निंदनीय हैं।

वीबी-जी-राम-जी विधेयक 18 दिसंबर को, लोकसभा में पारित होने के कुछ ही घंटों बाद, राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया था तथा तीन दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी थी।

आलोचकों का कहना है कि नए कानून की असली समस्या उसकी बारीकियों में छिपी है। मनरेगा के प्रमुख शिल्पकार जीन द्रेज़ का कहना है कि नई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'परीक्षा रद्द करने के टास्क के आधार पर एसआईटी ने पहली रिपोर्ट दी थी'

जयपुर, 12 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में चयनित अभ्यर्थियों की दलीलें सुनकर मामले

- एसआई भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने दलीलें रखीं।

की सुनवाई 15 जनवरी को तय की है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।

चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जीवनपर्यंत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई दीवानी या फौज़दारी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी'

सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रदत्त इस ''सुविधा'' को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई

- सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीर मानते हुए, सरकार व मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किए, इस मसले पर उनका पक्ष रखने के लिए।
- याचिका में यह कहा गया है कि प्रदत्त सुविधा ''जिम्मेवारी'' (एकाउन्टिबिलिटी) के सिद्धांत को कमज़ोर करती है तथा और ऐसी ''सुविधा'' तो संविधान के निर्माताओं ने किसी वर्ग को नहीं दी है, यहाँ तक कि जजों तक को भी।
- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए भी एक अंतरिम व्यवस्था स्थापित की थी, कि तीन सदस्यीय चयन समिति, जिसके प्र.मंत्री, नेता प्रतिपक्ष व भारत के मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे, अपने चयन की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे तथा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक चलनी थी, जब तक सरकार कोई नया कानून नहीं लाती।
- सरकार 21 दिसंबर 2023 को नया कानून लाई, चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर किसी एक कैबिनेट मंत्री को सदस्य बनाया गया। पर, यह नई व्यवस्था कानून संगत तो थी, क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया बनाई थी, वह सुप्रीम कोर्ट के खुद के शब्दों में अंतरिम व्यवस्था थी, न कि कोई स्थाई व्यवस्था और नया कानून बनाकर सरकार को अंतरिम व्यवस्था को बदलने का अधिकार था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के बिल के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलैक्शन कमिश्नर-सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (इलैक्शन कमिश्नर-ईसी) को दी गई जीवनभर की सुरक्षा (इन्यूनिटी) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी सुरक्षा संविधान निर्माताओं की सोच से भी परे जाती है।

याचिका में कहा गया है कि नया कानून सीईसी और ईसी को उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक (सिविल और क्रिमिनल) कार्रवाई से अभूतपूर्व एवं जीवनभर की छूट देता है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, बिल में दी गई यह छूट संविधान की सीमाओं से बाहर है और जवाबदेही के सिद्धांत को कमज़ोर करती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा, ''यह बिल सीईसी और ईसी को ऐसी अभूतपूर्व जीवनभर की छूट नहीं दे सकता, जो संविधान निर्माताओं ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती, जो संविधान के निर्माताओं ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी।''

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच ने याचिका में उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया और कहा कि इस मुद्दे की गहराई से न्यायिक जांच जरूरी है। सीजेआई ने कहा, ''हम इस पर विचार करना चाहते हैं। हम नोटिस जारी कर रहे हैं।'' बैंच ने केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग, दोनों से जवाब मांगा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक के चार आरोपियों को जमानत मिली

- हाई कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि व केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए जमानत मंजूर की।

जयपुर, 12 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में चार आरोपियों, कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की ओर से जेल में बिताई अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए उन्हें जमानत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)